राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 265 / 2022

GCMS No.2022/382

1. कुरेशी पत्नी मनवन खान उम्र 64 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. नदीम खान पुत्र मनवर खान उम्र 28 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सलीम खान पुत्र मनवर खान उम्र 18 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: **निर्णय** :: **दिनांक :–16–12–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 4 के खसरा नंबर 1054 रकबा 1.70 है. व खाता सं. 158 के ख.नं. 674 रकबा 0.35 है. व खाता सं. 570 के खसरा नंबर 1657 रकबा 0.97 है. तथा खाता सं. 571 के खसरा नंबर 1331 रकबा 3.27 है. भूमि के प्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदार संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 4 में प्रार्थी सं. 1 का नाम गलत रूप से ''कुरेशीबाले पत्नी मनोहरखां'' दर्ज है तथा खाता सं. 15, 570, 571 में प्रार्थी सं. 1 का नाम गलत रूप से ''कुरेशीबानो पत्नी मनेहरखां' दर्ज है जबकि प्रार्थी सं. 1 का सही व वास्तविक नाम ''कुरेशी पत्नी मनवर खान'' है तथा इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड के खाता स. 4, 15, 570 व 571 में प्रार्थी सं. 2 का नाम गलत रूप से ''नदीम पुत्र मनोहर खां'' दर्ज है जबकि प्रार्थी सं. 2 का सही व वास्तविक नाम ''नदीम खान पुत्र मनवर खान है तथा इसी प्रकार प्रार्थी सं. 3 का नाम गलत रूप से ''सलीम खां पुत्र मनोहर खां'' दर्ज है जबकि प्रार्थी सं. 3 का सही व वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

"सलीम खान पुत्र मनवर खान है, जो उनके समस्त लोक/राजकीय दस्तावेजात व अन्य प्रमाण पत्रों जैसे राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 4 के खसरा नंबर 1054 रकबा 1.70 है. व खाता सं. 15 के खसरा नंबर 674 रकबा 0.35 है. व खाता सं. 570 के खसरा नंबर 1657 रकबा 0.97 है. तथा खाता सं. 571 के खसरा नंबर 1331 रकबा 3.27 है. भूमि जिसके प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है के खाता सं. 4 में प्रार्थी सं. 1 का नाम "कुरेशीबाले पत्नी मनोहरखां" के स्थान पर "कुरेशी पत्नी मनवर खान" तथा खाता सं. 15, 570, 571 में दर्ज नाम "कुरेशीबानो पत्नी मनोहर खां" के स्थान पर "कुरेशी पत्नी मनवर खान" तथा इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि के खाता सं. 4, 158, 570, 571 में प्रार्थी सं. 2 का नाम "नदीम पुत्र मनोहर खां" के स्थान पर "नदीम खान पुत्र मनवर खान" तथा प्रार्थी सं. 3 का नाम "सलीम खां पुत्र मनोहर खां" के स्थान पर "सलीम खान पुत्र मनवर खान" दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1929 दिनांक 30.11.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल बड़ाऊ की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 4, खाता सं. 158, खाता सं. 570, खाता सं. 571 ग्राम बड़ाऊ, फोटो प्रति आधार कार्ड कुरेशी, सलीम खान, नदीम खान, आयकर विभाग का परिचय पत्र, जन आधार, मतदाता पहचान पत्र कुरेशी का, मतदाता पहचान पत्र नदीम खान, ई–श्रम कार्ड, आयकर विभाग का परिचय पत्र नदीम खान, फोटो प्रति ई–श्रम कार्ड, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 सलीम खान की पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों एवं मदवार हल्का रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान में दर्ज प्रविष्ठियों को निम्नलिखित रुप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
1	वडाऊ (संवत् 2073–2076)	4	कुरेशीवाले पत्नी मनोहरखां नदीम पुत्र मनोहरखां सलीमखां पुत्र मनोहरखां	कुरेशी पत्नी मनवर खान नदीम खान पुत्र मनवर खान सलीम खान पुत्र मनवर खान
2	बड़ाऊ (संवत् 2073–2076)	158	कुरेशीवानो पत्नी मनोहरखां नदीम पुत्र मनोहरखां सलीमखां पुत्र मनोहरखां	कुरेशी पत्नी मनवर खान नदीम खान पुत्र मनवर खान सलीम खान पुत्र मनवर खान
3	बडाऊ (संवत् 2073–2076)	570	कुरेशीबानो पत्नी मनोहरखां नदीम पुत्र मनोहरखां सलीमखां पुत्र मनोहरखां	कुरेशी पत्नी मनवर खान नदीम खान पुत्र मनवर खान सलीम खान पुत्र मनवर खान
4	बड़ाऊ (संवत् 2073–2076)	571	कुरेशीबानो पत्नी मनोहरखां नदीम पुत्र मनोहरखां सलीमखां पुत्र मनोहरखां	कुरेशी पत्नी मनवर खान नदीम खान पुत्र मनवर खान सलीम खान पुत्र मनवर खान

उपरोक्त राजस्व ग्राम की जमावन्दीयों में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner